न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–65 / 2015–16

बाल्मिकी प्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
01/10/18	**आदेश** आवेदक श्री बालमिकी प्रसाद, पिता स्व0 जुदागी राय, ग्राम–इलाहीबाग, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना के द्वारा विपक्षी जगदीश प्रसाद, पिता स्व0 भगवान दास राय, ग्राम–इलाहीबाग, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना की पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा पहाड़ी में कायम जमाबंदी सं0 3371 को रद्द करने हेतु यह वाद दायर किया गया है। **आवेदक का कहना है कि** (1) उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज है। उभय पक्ष के पूर्वज मिठ्ठु गोप के द्वारा मौजा पहाड़ी, थाना नं0 14 तौजी नं0 4269 में विभिन्न खाता खेसरा के कुल 3.01 एकड़ की जमीन की खरीद की गयी। (2) पारिवारिक बंटवारा में उक्त 3.01 एकड़ भूमि भगवान दास राय को मिली, जिनके नाम से जमाबंदी सं0 580 कायम है। (3) भगवान दास राय को दो पुत्र जुदागी राय (आवेदक के पिता) एवं जगदीश राय (विपक्षी) हुए। भगवान दास राय की मृत्यु के उपरान्त विवादित भूखण्ड पर उनके दोनों पुत्र संयुक्त रूप से दखलकार हुए। दोनों भाईयों के द्वारा संयुक्त रूप से कुछ भूखण्ड की बिक्री भी की गयी। जुदागी राय एवं जगदीश राय के बीच किसी प्रकार के बंटवारा के पहले ही जुदागी राय की मृत्यु हो गयी। (4) आवेदक को अचानक पता चला कि विपक्षी के द्वारा संयुक्त सम्पति में से खेसरा नं0 1504 रकबा 31डी0 की बिक्री हेतु एकरारनामा कर लिया गया है तथा पिलर गाड़ा जा रहा है। आवेदक के द्वारा इसका विरोध किया गया तथा अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर को द0प्र0सं0 की धारा–144 के अन्तर्गत वाद आरम्भ करने हेतु दिया गया। (5) आवेदक के द्वारा जब राजस्व कर्मचारी से जानकारी ली गयी	ज्ञापांक 991 /न्या0 दिनांक 4/10/18 प्रतिलिपि अंचल अधिकारी पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ह0 अपर समाहर्त्ता पटना 01-10-18

तो पता चला कि दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{995}{5}$ वर्ष 2002–03 के द्वारा जमाबंदी सं0 580 से 1.58 एकड़ घटा कर विपक्षी जगदीश राय के नाम से जमाबंदी सं0 3371 कायम कर दी गयी है। उक्त दाखिल खारिज की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गयी।

(6) विवादित भूखण्ड में आवेदक का हिस्सा निम्नानुसार है :–

खाता	खेसरा	रकवा
1	2	3
307	1564	0.12 एकड़
314	1433	$0.18\frac{1}{4}$ एकड़
45	1504	$0.12\ \frac{6}{8}$ एकड़
284	1557 1558	$0.34\frac{1}{4}$
282	1556	0.15 एकड़
	कुल	$0.92\frac{1}{4}$ एकड़

(7) विपक्षी जगदीश राय के नाम से कायम जमाबंदी सं0 3371 अवैध है तथा रद्द करने योग्य है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी।

(1) दिनांक 03.07.1919 का केवाला एवं उसका हिन्दी अनुवाद

(2) सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जमाबंदी सं0 580 एवं 3371 की जमाबंदी पंजी

विपक्षी का कथन है कि

(1) आवेदक के द्वारा दायर वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) विवादित भूखण्ड को लेकर इस वाद के आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायालय, पटना में स्वत्व विभाजन वाद सं0 699/2010 दायर किया जा चुका है। उक्त टाईटिल पार्टीशन सूट में आवेदक के द्वारा दिनांक 01.10.2015 को Injunction Petition दायर किया गया था, जो सब जज–IV, पटना के द्वारा दिनांक 01.05.2017 को निरस्त कर दिया गया।

(3) जब सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद लम्बित है, तब उस परिस्थिति में इस न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद नहीं चलाया जा सकता।

(4) आवेदक के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर के न्यायालय में विविध वाद सं0 1219(एम)/2015 भी दायर किया गया था, जो निरस्त हो गया।

(5) आवेदक के पिता स्व0 जुदागी राय के जीवन काल में ही पंचनामा के तहत उभय पक्षों के बीच बंटवारा हो चुका है तथा उभय पक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

(6) आवेदक अपने हिस्से की 70 (सतर) प्रतिशत जमीन बिक्री कर चुके है तथा वे अब विपक्षी की जमीन हड़पना चाहते है।

(7) विपक्षी के द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :–

(1) दिनांक 15.09.1988 का केवाला, जो आवेदक एवं उनके पिता के द्वारा सोनालिका सहकारी गृह निर्माण समिति के पक्ष में निष्पादित है।

(2) दिनांक 28.02.2005 का केवाला जो आवेदक के द्वारा मो0 फुलमनी देवी को लिखा गया है।

(3) दिनांक 09.10.2015 का केवाला जो आवेदक के द्वारा धर्मशीला देवी को लिखा गया है।

(4) दिनांक 19.03.2013 का केवाला आवेदक के मोख्तारनामा के आधार पर दीपक कुमार गुप्ता को पक्ष में निष्पादित है।

(5) दिनांक 25.07.2003 का केवाला जो आवेदक एवं उनके पिता के द्वारा राजकिशोर प्रसाद सिंह को लिखा गया।

(6) दिनांक 08.08.2003 का केवाला जो आवेदक के मोख्तारनामा के आधार पर रामेश्वर प्रसाद को लिखा गया है।

(7) दिनांक 11.08.1988 का केवाला जो भगवान दास राय, जगदीश राय एवं बालमिकी राय के द्वारा संयुक्त रूप से सोनालिका सहकारी गृह निर्माण समिति को लिखा गया है।

(8) जगदीश राय की जमाबंदी सं0 3371 पर निर्गत वर्ष 2012–13 की लगान रसीद

(9) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 699/2010 की याचिका की प्रति

(10)टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 699/2010 में दिनांक 01.05.2017 को पारित आदेश

(11) वर्ष 2003 का बंटवारानामा

(12) अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर के न्यायालय में दायर वाद सं0 1219(एम)/2015 का आवेदन एवं आदेश

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) यह मामला पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा का है। आवेदक $92\frac{1}{4}$ डी0 पर अपने हिस्से का दावा करते हुए उसकी जमाबंदी अपने नाम से कायम कराना चाहते हैं।

हिस्से का निर्धारण सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वत्व विभाजन वाद सं0 699/2010 दायर कर चुके हैं।

(2) आवेदक जब सक्षम व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद दायर कर चुके थे, तो उन्हें इस न्यायालय में यह वाद नहीं लाना चाहिए था।

(3) आवेदक के द्वारा टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 699/2010 में दिनांक 01.10.2015 को Injunction petition दाखिल किया गया, परन्तु सब जज–IV, पटना के द्वारा आवेदक के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाते हुए दिनांक 01.05.2017 को आवेदक के Injuntion petition को निरस्त कर दिया गया।

सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मत है कि इस न्यायालय में यह वाद लाने से पहले आवेदक के द्वारा व्यवहार न्यायालय पटना में स्वत्व बंटवारा वाद सं0 699/2010 दायर किया जा चुका है। इस परिस्थिति में इस न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। आवेदक व्यवहार न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त करें।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/10/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

9/10/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना